

# कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क.प्रशा./गो.क./का.आ./29

दिनांक: 05.10.2018

## :: कार्यालय आदेश ::

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 3 (ग) में उल्लिखित कदाचार के संबंध में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु समिति का गठन।

प्रधान महालेखाकार (ले./ह.)–प्रथम, म.प्र. महोदय के आदेश दिनांक 03.10.2018 द्वारा इस कार्यालय की कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु पूर्व में कार्यालय आदेश क. प्रशा./गो.क./का.आ./47, दिनांक 25.01.2018 द्वारा गठित समिति की तत्कालीन अध्यक्षा सुश्री प्रिया पारिख, वरिष्ठ उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) भोपाल शाखा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर सुश्री मोना जैन, उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र–III), कार्यालय महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षेत्र लेखा परीक्षा) ऑफिट भवन, मध्य प्रदेश, ग्वालियर को अध्यक्षा नामित किया गया है। तदनुसार उक्त समिति अब निम्नानुसार होगी :–

- |  |          |
|--|----------|
| 1. सुश्री मोना जैन, उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र–III)  | अध्यक्षा |
| 2. श्री के.एम.बडोदिया, लेखा अधिकारी  | सदस्य    |
| 3. श्री ए.एन. शुक्ला, लेखा अधिकारी   | सदस्य    |
| 4. सुश्री मिलिन्दा सिरपुरकर, सहायक लेखा अधिकारी  | सदस्य    |
| 5. सुश्री मंजुला आर. कृष्णन, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी<br>कार्या. महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षेत्र लेखा परीक्षा) ग्वालियर | सदस्य    |

हस्ता / –  
उप महालेखाकार (प्रशासन)